राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान (A Statutory Institute governed by the NIFT Act 2006 and set up in 1986 under the Ministry of Textiles, Govt. Of India)

शैक्षणिक विभाग निफ़्ट मुख्यालय, नईदिल्ली– 110016

1400(270)/Head-AA/SOA/July-Dec 21/2021

25 नवम्बर, 2021

विषय: जुलाई-दिसंबर 2021 सेमेस्टर के लिए हाजिरी में छूट के संबंध में |

Subject: Relaxation of attendance for the semester July-December 2021 regarding

महामारी की स्थिति के कारण, सभी निफ्ट परिसरों में सेमेस्टर जुलाई-दिसंबर 2021 के दौरान कक्षाएं मुख्य रूप से ऑनलाइन / हाइब्रिड मोड के माध्यम से संचालित की गई हैं। इसलिए, सभी छात्रों को चल रहे सेमेस्टर के लिए हाजिरी में पूर्ण छूट दी जाती है। शैक्षणिक सत्र जुलाई-दिसंबर 2021 के अंतिम सेमेस्टर मूल्यांकन में उपस्थित होने के लिए छात्रों की हाजिरी की गणना को इस बार आवश्यक नहीं माना जाएगा। मेजर, डी.एस और आई.डी.एम(Majors, DS and IDMs) जैसे विषयों में शून्य हाजिरी वाले छात्रों को इंटरनल असाइनमेंट भी जमा करने की अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि सत्र समाप्ति अविध के कार्य प्रस्तुत (end term submissions) करने हेतु किया गया है।

Owing to the pandemic situation, the classes at all NIFT campuses have been conducted primarily through the online/hybrid mode during the ongoing semester i.e. July-December 2021. Hence, all students are hereby given complete relaxation in the attendance for the ongoing semester. Calculation of students' attendance will not be considered as a pre-requisite for appearing in the end semester evaluation for the academic session July-December 2021. Students with nil attendance in Majors, DS and IDMs may be allowed to submit the internal assignments as well as appear for the end term submissions.

सामान्य ऐच्छिक विषयों (GE)के संबंध में, चूंकि इन्हें एक स्टैंडअलोन दर्जा दिया गया है, जिसमें छात्रों को हाजिरी की कमी के मामले में जी.ई को आगे बढ़ाने और यू जी(UG) कार्यक्रम में शामिल होने के 6 साल के भीतर या पीजी(PG) कार्यक्रम में शामिल होने के 4 साल के भीतर क्रेडिट पूरा करने की अनुमित है। इसलिए, जी.ई(GE) में 40% से कम हाजिरी वाले छात्रों को चल रहे सेमेस्टर के लिए अंतिम सत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जा सकती है और बाद के सेमेस्टर में जी.ई (एस)(GEs) को दोहराने की आवश्यकता होगी।

With regard to the GEs, since these are given a standalone status wherein the students are allowed to carry forward the GEs in case of shortage of attendance and complete the credits within 6 years of joining a UG programme or within 4 years of joining a PG program hence, the students with less that 40% attendance in GEs may not be allowed to appear for the end term examination for the ongoing semester and will be required to repeat the GE(s) in the subsequent semesters.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

(प्रो. डॉ. शिंजू महाजन) प्रमुख(शैक्षणिक मामले)

सेवा में

- सभी परिसर निदेशक / संयुक्त निदेशक
- (प्रमुख) परीक्षा नियंत्रक (मुख्यालय),
- प्रमुख (ईआरपी)

प्रतिलिपि : (सूचनार्थ)

- महानिदेशक,निफ्ट
- डीन (शैक्षणिक)
- सीएसी (सभीकैंपस)
- सहायक बोर्ड सचिव